

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्रीमती रईशाबानु  
कस्म मुकदमा धारा-111, 128 भू-राजस्व अधिनियम

विपक्षी सरकार  
प्रकरण संख्या 47/2024

कार्यवाही विवरण

09/09/24

--:निर्णय:--

उपरिस्थित:- श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता - प्रार्थीया  
पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि मौजा नयागांव पटवार हल्का देवगांव तहसील झल्लारा मे प्रार्थीया के खातेदारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 14 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीया के की भूमि के सटमा आराजी नम्बर 13, 15, 730/15, 21, 85, 20, 86, 733/87, 87, 700/14 की भूमि के मध्य सीमाकन नही होने की वजह को लेकर प्रार्थीया एवं पडोसी खातेदारो के मध्य में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रार्थीया ने पूर्व दिनांक 09-12-2023 को सीमा जानकारी करवाई लेकिन मौके पर विवाद होने से सीमाकन नही हो पाया इसलिये मजबुर होकर प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा हाजिर आये जिन्होने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी के आराजीयात की भूमि हेतु पत्थरगढी के आदेश किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीया की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रही तथा विपक्षी की बहस अपने जवाब के अनुसार रही।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित मौजा नयागांव पटवार हल्का देवगांव तहसील झल्लारा आराजी नम्बर 14 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि की प्रार्थीया रेकार्डेड खातेदार होकर नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थीया अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

--:आदेश:--

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा नयागांव पटवार हल्का देवगांव तहसील झल्लारा आराजी नम्बर 14 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीया को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी  
सलुम्बर, जिला सलुम्बर

को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भू-अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/09/24 को सरे ईजलास सुनाया गया।



५  
(पर्वत सिंह चण्डावत RAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
सलुम्बर जिला सलुम्बर